

जाति प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **नेहा या शैरिषा**

सुपुत्र/सुपुत्री श्री **कुमार सिंह** निवासी **दुर्गापुर,**

टी. ए. डेम्ब डी पीठे, गोंड बस्त, गोंड जिला **गोंड**

जाति **ज.ज. एन. का.** समुदाय के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति तथा

अनुसूचित आदिम जाति (सूची संशोधन अधिनियम धारा 1958 संविधान अमendment

विशेषकर अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1958 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम

जाति मानी जा चुकी है श्री **नेहा या शैरिषा** और इनका

परिवार साधारणतः नगर **गोंड** राज्य **राजस्थान**

संघ क्षेत्र **गोंड** के जिला **गोंड** के निवासी है।

आज दिनांक **19/5/2019** को यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

बहरीलाल लालपुरा
वि.स.सं.सं.सं. (रा.स.)



पद
कार्यालय की मोहर
राज्य संघ राज्य क्षेत्र